NIC

कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक ——/नि० सूचना–2018–19 दिनांक 28 अप्रैल 2018

अल्प अल्पकालिक निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि अवस्थापना विकास निधि द्वारा प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद/लो०नि०वि०/आर० ई० एस०/जिला पंचायत के ठेकेदारों से जो वर्ष 2018–19 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 05–05–2018 को दिन में 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के एल०बी०सी०/टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के एल०बी०सी/टी०ए०सी० पटल तथा कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 04–05–2018 को समय 11.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञापन को बेवसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत धनराशि	निविदा पपत्र शुल्क	कार्य अवधि
1	सुनील के घर से हीरा के घर होते हुये भोला चौहान एवं स्व० श्री प्रकाश गुप्ता के घर तक नाली निर्माण कार्य।	3,09,200–00	30,920–00	400–00	पन्द्रह दिन
2/	मोती चन्द्र चौहान के घर से पाण्डेय चक मार्ग पर शंकर चौहान के घर होते हुये ठाकुर मंदिर के सामने तक नाली व स्लैब निर्माण कार्य।	4,96,000–00	49,600–00	500–00	पन्द्रह दिन
3	राजेन्द्र राजभर के घर से स्व० श्री प्रकाश के घर तक नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य।	4,96,900–00	49,690–00	500–00	पन्द्रह दिन
4	महेन्द्र यादव के मकान से पंकज यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3,40,800–00	34,080–00	400–00	पन्द्रह दिन
5	सुदामा मद्धेशिया के घर से प्रेम जायसवाल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य वार्ड सं0–09।	7,14,300–00	71,430–00	800–00	पन्द्रह दिन
6	सुनिता हरिजन के घर से छेदी हरिजन के घर तक नाली निर्माण कार्य।	71,400–00	7,140–00	100–00	पन्द्रह दिन

नियम एवं शर्त :–

1– निविदादाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन०एस०सी०,/एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा।

2– इस निविदा की धनराशि का उपयोगावधि शासन द्वारा बढ़ाये जाने पर भुगतान किया जायेगा। पी०एल०ए० में जमा धनराशि यदि किन्ही परिस्थितियों में लेप्स होती है तो संबंधित निर्माण कार्य का भुगतान राज्य वित्त की आयोग की धनराशि से किया जायेगा।

3– एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

4– निविदादाता को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त अद्यतन अपना चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– निविदा स्वीकृति के तीन दिन के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा एवं तत्पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा।

6– ठेकेदार को निर्माण कार्य नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100–00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

PTO.

7— 100—00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

8— निविदा के समय विवाद की दशा में अधोहस्ताक्षरी का ही निर्णय मान्य होगा।

9— किसी भी निविदादाता द्वारा या उनके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभद्रता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित करायी जायेगी।

10— ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश आदेश प्राप्त होने पर समस्त औपचारिकता पूर्ण कर पन्द्रह दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

11— शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस मे कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

12— निविदा सूचना देवरिया की वेबसाईट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

पत्रांक 619 (3)/ दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1— जिलाधिकारी, महोदय, देवरिया।
2— प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया
3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी देवरिया वेबसाईट www. deoria.nic.in.पर अपलोड करने हेतु।
4— अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0 देवरिया।
5— अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड, देवरिया।
6— अपर मुख्य अधिकारी जिला, पंचायत, देवरिया।
7— समस्त अधिशासी अधिशासी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें जनपद देवरिया।
8— नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9— सम्पादक दैनिक जागरण प्रेस एवं स्वतंत्र भारत प्रेस गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक के देवरिया संस्करण में प्रकाशित कर अखबार के तीन प्रतियों के साथ बिल प्रस्तुत करने हेतु।

29/4/18

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।

देवन्ती देवी
अध्यक्ष,
नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
देवरिया।